

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील में जारी
हुए

15.10.25

पत्रावली पेश हुई।

दोनो पक्षो के वकील उपस्थित।

प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुरूप बहस करते हुए कथन किया गया है कि सरहद मौजा रामदेव नगर कुसीप तहसील सिवाना के खसरा (संख्या 190, 191, 227, 228, 229, 237, 238, 239, 240 व 241 कि भूमि वक्त सेटलमेन्ट ठाकुरजी मंदिर के नाम से डोली भूमि थी तथा राजस्व रेकॉर्ड में डोली मंदिर श्री ठाकुर जी मूर्ति विराजन कुसीप के तौर पर दर्ज थी जिसमें पुजारी पोकरदास चेला विरमदास मूर्ति के पुजारी थे, पुजारी श्री पोकरदास द्वारा वादग्रस्त आराजी भूमि को बिला अधिकार गलत तरीके से विधि विरुद्ध विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हकपूर्वाधिकारी रामसिंह पुत्र खेतसिंह को हस्तान्तरित कर दी गई थी, पुजारी पोकरदास को उपरोक्त भूमि को विधिक अधिकार नहीं था, जिस पर रामसिंह के नाम से भूमि हस्तान्तरित होने से नामान्तरकरण के जरिये भूमि राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हुई, जिसके बाद उपरोक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हकपूर्वाधिकारी रामसिंह के द्वारा विप्रार्थी संख्या 3 से 7 को जरिये बेचान दस्तावेज हस्तान्तरित कर दी, उपरोक्त तमाम हस्तान्तरण विधि विरुद्ध होने से खरीदकर्ता को वादग्रस्त भूमि बाबत कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है साथ ही प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि बाबत प्रार्थी के द्वारा घोषणा का वाद पत्र पेश किया है जिसके निस्तारण में समय लगेगा इसलिए वादग्रस्त भूमि की सुरक्षार्थ एवं संरक्षित करने के लिए विवादित भूमि बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा विप्रार्थीगण के विरुद्ध फरमाई जावे।

विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के अनुरूप निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी भूमि विप्रार्थी संख्या 3 से 7 के द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रेय विलेख सप्रतिफल खरीद की गई तथा माफिक बेचान दस्तावेज एवं राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज खातेदारी की अनुरूप विप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी भूमि पर आज रोज तक काबिज है जिससे माफिक राजस्व रेकॉर्ड के कब्जा के अनुरूप विवादित भूमि बाबत विप्रार्थीगण को मालिकाना हक प्राप्त है साथ ही विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा मौखिक निवेदन के जरिये कथन किया गया कि विवादित आराजी भूमि बाबत किये गये बेचाननामा को सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं करवाया जाता है तब तक प्रार्थी विप्रार्थीगण के विरुद्ध अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है इसके विपरित प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का न तो कभी खातेदार रहा है, उपरोक्त भूमि को बतौर पुजारी के काशत इत्यादि की थी, जिससे प्रार्थी द्वारा पेश मूल वाद ही कानूनन काबिल खारिज होने से विप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन जारी नहीं की जा



सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी
हुए

सकती। लिहाजा अज अदालत द्वारा दिनांक 01.10.2021 को जारी अंतरिम आदेश को निरस्त करते हुए विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी।

पत्रावली पर पेश दस्तावेजी साक्ष्य/सबूतो का अवलोकन एवं मनन किया।

उपरोक्त प्रकरण में वर्णित तथ्यों के अनुरूप प्रार्थी के द्वारा मूल वाद के संलग्न उपरोक्त प्रार्थना पत्र पेश करते हुए विवादित भूमि मंदिर ठाकुरजी के नाम से डोली की भूमि होमा कथन किया है, मगर उपरोक्त प्रकरण में पेश तथ्यों के अनुरूप वादग्रस्त आराजी भूमि पर प्रार्थी कभी भी काबिज रहा हो या प्रार्थी एवं उसके हकपूर्वाधिकारी द्वारा वादग्रस्त भूमि को बतौर डोली प्राप्त किया हो ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया है न ही डोली के भूमि के पुजारी के तौर पर पोकरदास के वारिसान द्वारा कोई वादपत्र पेश किया है जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कभी भी कोई कब्जा नहीं रहा न ही प्रार्थी एवं उसके हकपूर्वाधिकारी के नाम से वादग्रस्त आराजी भूमि राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज रही जिससे कब्जा के अभाव में एवं दस्तोवजी सबूतो के अभाव में विवादित भूमि बाबत प्रार्थी के हक हकूक प्रभावित हो रहो हो, राजस्व रेकॉर्ड के दस्तावेजो से प्रतीत नहीं हो रहा है इसके विपरित विप्रार्थी संख्या 3 से 7 के द्वारा विवादित भूमि को पंजीकृत विक्रेय से खरीद करने एवं राजस्व रेकॉर्ड में बेचानकर्ता का नाम दर्ज होने से विवादित भूमि विप्रार्थी संख्या 3 से 7 के द्वारा खरीदसुदा होने से एवं उपरोक्त बेचाननामा आज रोज तक अस्तित्व में रहने से विवादित भूमि बाबत तमाम हकहकूकं विप्रार्थीगण को प्राप्त होने से माफिक बेचान दस्तावेज विप्रार्थीगण विवादित भूमि पर काबिज होने से विप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो विप्रार्थीगण अपने जायज हकहकूक से वंचित रहेंगे। प्रार्थी ने उक्त बेचाननामा को निरस्त किये जाने बाबत किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई, न ही उक्त बेचाननामा के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व की धारा 82 के तहत रेफरेंस ही प्रस्तुत किया गया, उक्त बेचाननामा आज भी प्रभावी है, अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन बिन्दु प्रथम दृष्टया प्रकरण, अपूरणीय क्षति व साम्या का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होना नहीं होता, लिहाजा अज अदालत द्वारा दिनांक 01.10.2021 को जारी अंतरिम स्थगन आदेश को निरस्त किया जाकर प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

आदेश आज दिनांक 15.10.2025 को सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवना

15/10/2025
10:00 AM